सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 08/2010

मुस्ताक अहमद पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान निवासी सीसवाली तह0 मांगरोलजिला बारां

–वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां

–प्रतिवादी

दावा वास्ते नियमन

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री महेन्द्र सिंह हाडा

दायरा दिनांक: 07.12.2010 निर्णय दिनांक : 07.06.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी भूमिहीन व्यक्ति है व परिवार के पालन पोषण के लिए लगभग 20 वर्षो से ग्राम सीसवाली तहसील मांगरोल को आराजी खसरा नं0 5106 रकबा 1.18 है0 सिवायचक बंजड आराजी को काश्त कर रहा है प्रार्थी ने इस आराजी को काबिल काश्त बनाने के लिए काफी पैसा खर्चा किया है और आराजी को समतल बनाया है। अतः प्रार्थना है कि आराजी खसरा नं0 5106 रकबा 1.18 है0 वाके माल सीसवाली को विधिसम्मत नियमन/आवंटन करने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 07.12.2010 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है दिनांक 07.06.2018 को उपस्थित है। तहसीलदार मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट कमांक/भू0अ0/2018/23 दिनांक 07.06.2018 में अंकन किया कि मुताबिक जमाबंदी खसरा नं0 5106 रकबा 1.18 है0 भूमि सिवायचक बंजड दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि को नियमन/आवंटन कराना चाहता है। मुताबिक प्रार्थी सं0 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053 में अतिकमण दर्ज है। वर्तमान में प्रार्थी अतिकमी दर्ज नही है।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो एवं सुनी गयी बहस के आधार पर वादी मुस्ताक अहमद पुत्र छोटे खां जाति मुसलमान निवासी सीसवाली तह0 मांगरोल द्वारा ग्रामी सीसवाली की आराजी खसरा नं0 5106 रकबा 1.18 है0 पर कब्जे के आधार पर

घोशित किये जाने हेतु निवेदन किया है। वादी के वादपत्र में एडवर्स पजेशन के फलस्वरूप वादी नी प्रकार से टाईटल के हकदार नही बनते है।

इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदे ानुसार प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिया जाना प्रतिबंन्धित है, जिससे कृषि भूमि पर केवल कब्जे अथवा लम्बी अवधि के कब्जे के आधार पर खातेदारी दिये जाने के अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है, विधिसंगत तथ्य भी यही है कि केवल लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी के अधिकार नहीं किये जा सकते, चाहे कब्जा कितना भी लम्बा क्यों न हो। इस संबंध में माननीय न्यायालयों के गत निम्नाकिंत निर्णयो का भी दृश्टांत किया जाना समीचीन होगा–

1	केवल लम्बे कब्जे के आधार पर वाद नही लाया जा सकता है (परमसुख बनाम स्टेट 1978, आर.आर.डी. 482)
2	किसी व्यक्ति के कब्जे के आधार पर खातेदारी हकों की घोशणा नहीं की जा सकती है। (रामसिंह बनाम पतिराम, 1996 आर.आर.डी. 389 पेज 391)
3	केवल मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। (राजस्थान राज्य बनाम गिरधारीलाल, 1988 आर.आर.डी. 78)

2011(2) 721

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर फुल बेंच

श्रीमति मीनाक्षी हुजा– चैयरपर्सन
श्री आनन्द कुमार– मेम्बर
श्री तारा चंद सहारन– मेम्बर
श्री प्रमिल कुमार माथुर– मेम्बर
श्री बजरंगलाल भार्मा– मेम्बर

उनवानी– जगदीश एवं अन्य बनाम श्री सीताराम एवं अन्य

रेफरेन्स टी0ए0 नं0 2964/जयपुर ऑफ 1997 निर्णय दिनांक– 03 जून, 2011

राजस्थान का तकारी अधिनियम, 1955–धारा 232–परिसीमा अधिनियम 1963–अनुच्छेद 64 व 65–रेफरेन्स–खातेदारी अधिकार का प्रतिकूल कब्जा के आधार प्रदान किये जा सकत हैं– काश्तकारी अधिनियम से संबंधित मामलो में परिसीमा अधिनियम के प्रावधान सीमित तौर पर लागू होते हैं– प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान करने का प्रावधान नहीं तथा न्यायालय काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं कर सकते–नया कानून प्रतिपादित करने की राजस्व मण्डल को विधायी भाक्ति प्राप्त नहीं है– निर्णीत, प्रतिकूल कब्जा के आधार पर काश्तकारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। (पैरा 77)

अतः राजहित में माननीय न्यायालय से उक्त वाद अन्तर्गत सारहीन/तथ्यो से परे होने से एवं एक ...र की विधिसंगत खातेदारी भूमि पर कब्जा होने से मात्र एडवर्स पजेशन के बेस पर जो वाद लाया है ... अविलम्ब राजहित एवं न्यायहित में खारिज योग्य है। अतः वाद वादी अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.06.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प सीसवाली मजमेंआम में सुनाया गया।